POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 03 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मार्च, 2013 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! हर साल 15 मार्च का दिन 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का खास मकसद उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना और जागरूकता पैदा करना है।

इसी मकसद को लेकर वर्ष 1983 से 'ग्राम गदर' छापना शुरू किया गया, जिससे गांवों में रहने वाले लोगों तक उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचे और गांव की भलाई के लिए उनमें सरकार से सवाल खड़े करने की हिम्मत जागे। राजस्थान में ग्राम गदर पहला भित्ती पत्र है, जो जमीनी स्तर पर आम उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है और आज भी उनके अधिकारों की जानकारी कराने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।

मुझे खुशी है, आज शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण युवक भी काफी समझदार हो गए हैं। वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं और सरकारी नीतियों के निर्माण में पारदर्शिता चाहते हैं। वे चाहते हैं जवाबदेह प्रशासन। यही वजह है, देश में सिविल सोसायटीज के भीतर आए एक बड़े बदलाव का।

अब आमजन सरकारी नीतियों व योजनाओं में अपनी भागीदारी भी चाहने लगे हैं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार उन्हें अखरता है और उसे उजागर करने में भी वह पीछे नहीं रहते। ग्राम गदर को ग्रामीण बन्धुओं से मिले खत इसे प्रमाणित करते हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

'आधार' पहुंचाएगा आम आदमी तक सरकारी सेवाओं के लाभ

आम आदमी तक सरकारी सेवाओं के लाभ पारदर्शिता के साथ पहुंचाने में आधार की बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार ने रोजगार के अधिकार सहित जनहित की 10 सेवाओं को 'आधार पहचान संख्या' से जोड़ने का निर्णय लिया है। प्रदेश में इसे चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'कट्स' की स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आधार के माध्यम से सशक्तिकरण, चयन और सुविधा में परिवर्तन की संभावना' विषय पर 24 जनवरी 2013 को आयोजित कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि आधार योजना के जरिए पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचेगा, जिससे भ्रष्टाचार, छीजत और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।

प्रदेश में उपभोक्ता आन्दोलन और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कट्स व सहयोगी संस्थाओं द्वारा किए गए योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ता हितों के लिए पूरा सहयोग करने को प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी. एस. व्यास, कट्स के अध्यक्ष मीठा लाल मेहता तथा महामंत्री प्रदीप एस. महता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ व प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

लाभ लेना है तो बनवाना होगा आधार कार्ड - नीलेकणी

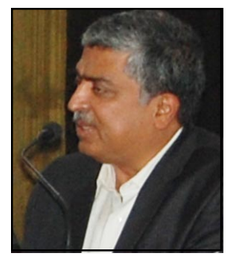

इस अवसर पर मुख्यवक्ता के रूप में आमंत्रित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नन्दन नीलेकणी ने कहा कि आधार कार्ड देश की नागरिकता का परिचय पत्र नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करने वाला 'नम्बर' है।

उन्होंने कहा कि कार्ड बनवाना व्यक्ति की इच्छा पर है। उसे यदि सुविधाओं का लाभ लेना है तो बनवाना ही पड़ेगा। क्योंकि, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत पैसा संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में नहीं बल्कि आधार कार्ड नम्बर पर डाला जाएगा।

नीलेकणी ने विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में इस व्यवस्था से कई अच्छे व लाभकारी परिवर्तन सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधार कार्ड से पारदर्शिता को बल मिलेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 31 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2012 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह हैः

'महिलाओं के प्रति हिंसा व उनकी सुरक्षा'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2012 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2013 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी -217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

कई उत्पादक अपने उत्पादों को बेचने के लिए आकर्षक विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। उपभोक्ता इन विज्ञापनों के चमत्कारिक जाल में फंसकर उत्पाद खरीद लेते हैं। जब वे उन उत्पादों का उपभोग करते हैं तो पाते हैं कि उनमें वह गुणवत्ता बिल्कुल नहीं होती, जिन्हें विज्ञापनों में दर्शाया जाता है। अनेक खाद्य वस्तुओं में हानिकारक पदार्थों की मिलावट होती है। जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

हालांकि राज्य सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के कई मामले पकड़ में भी आते हैं। कई डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में भी मिलावट सामने आई है। दुःख तब होता है, जब ऐसे अपराधियों को खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और वे किसी न किसी तरीके से बच निकलते हैं। - ओमप्रकाश, दौसा

राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण) आध्यादेश-2013

आध्यादेश में शामिल दंडनीय अपराध

महिला को अखाद्य पदार्थों का सेवन कराना, जमीन-पानी के अधिकार से वंचित करना, कोमार्य परीक्षण के लिए विवश करना, चरित्र पर सवाल उठाना, बिना उसकी इच्छा के फोटो लेना, आवाज रिकॉर्ड करना, अश्लील चित्र या साहित्य दिखाना, छेड़छाड़ करना, उसपर तेजाब या ज्वलनशील पदार्थ फेंकना, डायन या डाकन बताना, नग्न रूप में पेश करना, भूत-पिशाच बताकर जांच कराना आदि दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किए गए हैं।

राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान महिला (अत्याचार निवारण) आध्यादेश-2013 को अनुमोदित कर दिया है। इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर प्रदेश में आध्यादेश को लागू करेगी।

आध्यादेश में शामिल अपराधों के लिए उनकी गंभीरता के आधार पर 2 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। इसमें अपराधी को कारावास और जुर्माना दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान है। जुर्माने की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देनी होगी।

इसके लिए हर जिले में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। अध्यादेश में पीड़िता को प्रतिकर, अंतरिम राहत और पुनर्स्थापन का भी प्रावधान है, जिसके लिए एक कोष बनाया जाना प्रस्तावित है।

आध्यादेश के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत भी नहीं हो सकेगी। अपराधों के लिए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 लागू नहीं होगी। विशेष न्यायालय बनाने की शक्तियां हाईकोर्ट को दी गई है, जबकि अन्य प्रावधान राज्य सरकार के अधिकृत होंगे।

लागू होंगे यौन हिंसा आध्यादेश के प्रावधान

यौन हिंसा अध्यादेश में दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत होने, आजीवन अपंगता के अलावा दूसरी बार दोष साबित होने पर अपराधी को अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र सरकार ने आध्यादेश के प्रावधान सार्वजनिक करते हुए सफाई दी है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की किसी भी सिफारिश को नामंजूर नहीं किया गया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम व सूचना-प्रसारण मंत्री मनीष तिवाड़ी ने अध्यादेश के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इसके प्रावधान तुरंत लागू हो जाएंगे। अध्यादेश में यौन हिंसा के जघन्य मामलों में अधिकतम सजा फांसी रखी गई है।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

विकास के नाम पर बन्दरबांट !

प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में जमकर गबन व बन्दरबांट हो रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग खुद मानता है कि हर साल गबन और सरकारी धन की बन्दरबांट के ढाई हजार नये मामले सामने आते हैं। इस वक्त ऐसे 52 हजार मामलों की जांच अधर में होने से करीब छह करोड़ रुपए अटके हैं।

विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक विभाग इन दिनों ग्रामीण विकास की परियोजनाओं में गबन के 328 मामलों की जांच कर रहा है। पिछले वर्षों में अलग-अलग मामलों में आठ करोड़ 35 लाख रुपए के गबन और दूसरी अनियमितताएं हुई, लेकिन इनमें से पांच करोड़ 92 लाख रुपए की वसूली अब तक नहीं हो सकी है। कई मामलों में अधिकारियों ने नियम ताक पर रख कर खरीददारी की और उनका भुगतान भी कर दिया। अब इनके न बिल मिल रहे हैं और न आदेश।

सम्पत्ति जब्ती पर छह माह में फैसला

किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा काली कमाई से जुटाई सम्पत्ति की जब्ती पर 6 माह में फैसला हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जयपुर और जोधपुर में विशेष कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सम्पत्ति जब्ती के लिए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।

सरकार ने कानून को अमल में लाने के लिए नियम भी जारी कर दिए हैं। विशेष कोर्ट में हर स्तर पर कामकाज की समय-सीमा तय की गई है। कोर्ट में कौनसे मामले जाएंगे, इसका निर्णय सरकार करेगी। जब्त सम्पत्ति स्कूल-अस्पताल जैसे सार्वजनिक काम में इस्तेमाल होगी।

मुफ्त जांच योजना की पूरी तैयारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा विभाग के अफसरों को प्रदेश में अगले माह की सात तारीख से लागू होने वाली मुफ्त जांच योजना की पहले से ही पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत मरीजों की जो भी जांचे की जानी है उनकी पूरी व्यवस्था अभी से कर लें। जिस तरह मुफ्त दवा योजना की सफलता से आज जहां आम आदमी को लाभ मिल रहा है वहीं अन्य राज्यों से लोग इसकी सफल क्रियान्विति की जानकारी लेने राजस्थान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसी भावना के साथ मुफ्त जांच योजना को भी सफल बनाना है।

समय पर सिलेंडर नही देने पर एजेंसी संचालक को जेल

सीकर जिले के फतेहपुर बांठोद निवासी बजरंगलाल पारीक ने उपभोक्ता मंच सीकर में लक्ष्मणगढ़ गैस सर्विस एजेंसी के संचालक राजेन्द्र वर्मा के खिलाफ समय पर सिलेंडर नहीं देने का मामला दर्ज किया था। इस पर उपभोक्ता मंच ने फैसला करते हुए एजेंसी संचालक पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही निर्देश भी दिए थे कि उपभोक्ता को समय पर सिलेंडर दे और उसके घर तक पहुंचाए। एजेंसी संचालक ने इस फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील दर्ज कराई। आयोग ने मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच के फैसले को सही बताते हुए ऐजेंसी संचालक की अपील को खारिज कर दिया था।

इसके बाद भी एजेंसी संचालक ने फैसले की पालना नहीं की। इस पर उपभोक्ता बजरंगलाल पारीक द्वारा एजेंसी संचालक के खिलाफ पुनः उपभोक्ता मंच सीकर में अवमानना याचिका पेश की गई। मंच ने समय पर सिलेंडर नहीं देने और मंच के आदेश की अवहेलना पर एजेंसी संचालक राजेन्द्र वर्मा को तीन माह की कैद और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला दिया।

उपभोक्ता न्याय पर करें विचार

राजस्थान अभी भी उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता के मामले में काफी पीछे है। उपभोक्ता अधिनियम, 1986 के 25 वर्ष पूर्ण होने पर कट्स द्वारा उपभोक्ताओं की जागरूकता का स्तर मापने के लिए किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश के मात्र 16 फीसदी उपभोक्ता ही अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं।

मद्देनजर इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को प्रदेश की उपभोक्ता संस्थाएं अपने क्षेत्र में 'उपभोक्ता को न्याय' विषय पर कार्यक्रम आयोजित कर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागृत और सचेत करे। कृपया कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर'को अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर